

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AA 369184

एक अनुरोध स्टाम्प पेपर 10/- दिनांक 25/10/2012 रजिस्ट्रार कार्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
- श्री देवराज गोविंद पर गोविंद जिला - गोरखपुर
जिला गोरखपुर फाइल नं० सी०-५०७५
निगमावली के साथ संलग्न है।



12

— छप निवालय —
बिद सचिव कार्यालय तथा सोसाइटी
बावदा रोड, बावदा
13/10/2012

Handwritten notes in the top left corner, including the number '1234567' and other illegible characters.

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AA 369183

यह सुवर्ण स्थाप पेंचर श्री गिरिजा कृष्णकृष्णराव नैलमैगट रेवडरी
हस्ताक्षर आ शावकान, पी. वी. शावकिल, जिला मधुवा
जिला मधुवा प्रांत नं० मधु- 51875
के साथ बनाने है।



Handwritten signature or initials.

एव निवर्णक
विट कम्प कर्म तथा घोसाहरी
बापरा धें, बापरा

Handwritten signature and the number '1371012'.

स्मृति - पत्र

1. संस्था का नाम : श्री गिराज एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी
2. संस्था का पता : हाथी दरवाजा गोवर्धन, पोस्ट गोवर्धन, जिला मथुरा
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नवत उद्देश्य होंगे-

शिवराम शर्मा
शशिकांत शर्मा
राजेश शर्मा
Lakshmi Sharma
रवि शर्मा
रवि शर्मा



1. शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु नर्सरी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के स्कूल, कॉलेज एवं महाविद्यालय की स्थापना, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों की शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका ^{निर्देश} प्रबन्ध संचालन करना।
 कृषि, तकनीकी, विज्ञान, पर्यावरण, खेल संस्कृति आदि क्षेत्रों में शोध कार्य करना तथा शोध कार्य के परिणामों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करना।
 छात्रों के नैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं रचनात्मक उन्नति के सतत्-प्रयास करना।
4. निर्धन, असहाय, विकलांग एवं अनाथ बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा मुहैया करना एवं उनके आवास एवं खान-पान की निशुल्क व्यवस्था करना।
5. पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु नागरिकों को जागरुक बनाना। जागरुकता हेतु शिविरों का आयोजन, गोष्ठियों का आयोजन, नाटकों का आयोजन, चलचित्रों का प्रदर्शन आदि आयोजन करना। पर्यावरणविदों के विचारों से नागरिकों को अवगत करना। पर्यावरण सुरक्षा हेतु बनाये गये कानूनों के पालन कराने में सहयोग करना।

रवि शर्मा
उप-निर्देशक
श्री गिराज एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी
13/10/2022

6. छात्रों के अच्छे स्वास्थ्य एवं उन्हें बलिष्ठ बनाने के उद्देश्य से क्रीडा केन्द्रों, व्यायामशाला आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। ✓
7. समाज में व्याप्त कुरीतियों, जैसे - बाल विवाह, दहेज प्रथा, साम्प्रदायिकता अस्पृश्यता, भेद-भाव, मद्यपान, जुआ, निरक्षरता, नारी उत्पीड़न आदि के समूल उन्मूलन हेतु योजना बद्ध तरीके से कार्यकरना।
8. छात्रों के समग्र विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीडा केन्द्रों, व्यायामशाला आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। ✓
9. शिक्षा जगत के मूर्धन्य विद्वानों एवं सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत मनीषियों एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदस्थ एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सम्मानित कर उनका उत्साह वर्धन करना एवं उनके सुख-दुःख में सहभागिता करना। ✓
10. निर्धन, असहाय, अनाथ एवं विकलांग बच्चों को निशुल्क कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कताई, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर टाइपिंग ग्रामोद्योग आदि की निशुल्क शिक्षा दिलाना एवं प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण दिलाकर एवं सहयोग कराकर उनकी आजीविका की स्थापना कराना एवं बरोजगार के अवसर दिलाकर सेवायोजित करना। ✓
11. महिलाओं, शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिए निशुल्क रोजगार परक शिक्षा दिलाना एवं सरकार के माध्यम से उन्हें रोजगार के समुचित साधन उपलब्ध कराना। ✓
12. पर्यावरण संतुलन हेतु सघन वृक्षारोपण एवं बस्तियों को साफ एवं स्वच्छ बनाना। ✓
13. सभी वर्गों एवं जातियों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति दिलाना, निशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था करना एवं पढ़ाई के अन्य साधन मुहैया कराना। ✓

सिया राम शर्मा

कमिश्नर (आ) /

राज्य शिक्षा विभाग

1/11

Lakshmi Sharma

1/11

20/11-11-11



उत्प प्रतिबिधि

1/11

1/11

1/11

1/11

नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. सियाराम दास महाराज	वैष्णव दास जी महाराज	हनुमान बाग डीग रोड गोवर्धन, जिला-मथुरा।	अध्यक्ष	भजन-पूजा
2. अशोक कुमार	श्री गिरधारी लाल	ग्राम व पोस्ट-पैठ जिला-मथुरा।	उपाध्यक्ष	नौकरी
3. नन्दकिशोर शर्मा	श्री खैमचन्द शर्मा	हाथी दरवाजा, गोवर्धन पोस्ट-गोवर्धन जिला-मथुरा।	सचिव/प्रबन्धक	व्यापार
4. संजय गोस्वामी	स्व. श्री विष्णुदत्त गोस्वामी	गंगा मंदिर के सामने शीतला घाटी, मथुरा	सचिव/ उपप्रबन्धक	नौकरी
5. लक्ष्मी शर्मा	श्री एन.के. शर्मा	हाथी दरवाजा, गोवर्धन पोस्ट-गोवर्धन जिला-मथुरा।	कोषाध्यक्ष	ग्रहणी
6. एन.के. उपमन्यु	श्री रामदाबू	25 ए. शीता इन्वलेव (ग्रैक कॉलोनी) मथुरा।	ऑडीटर	वकालत
7. खैमचन्द शर्मा	स्व. श्री बाबूलाल शर्मा	हाथी दरवाजा, गोवर्धन पोस्ट-गोवर्धन जिला-मथुरा।	सदस्य	व्यापार

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि संलग्न स्मृति-पत्र नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अन्तर्गत संस्था का पंजीकरण कराना चाहते हैं।

दिनांक : 01-05-2006

सियाराम दास

अशोक कुमार शर्मा

नन्दकिशोर शर्मा

लक्ष्मी शर्मा

Lakshmi Sharma

एन.के.

खैमचन्द शर्मा

संस्था प्रतिनिधि

12

एन.के. शर्मा

संस्था के अध्यक्ष

संस्था के अध्यक्ष

13/11/2006

नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री गिराज एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी ✓
2. संस्था का पता : हाथी दरवाजा गोवर्धन, पोस्ट गोवर्धन, जिला मथुरा
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ✓
4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे- ✓
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

सिपारामदास

कलेक्टर, मथुरा

नतीकरी २०१२

13/11/2012

Lakshmi Sharma



1. संरक्षक सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को एक मुरत 501/-रुपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा। ✓

2. आजीवन सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को एक मुरत 1001/-रुपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा। ✓

3. साधारण सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 250/-रुपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा। ✓

4. विशिष्ट सदस्य-ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं वह संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान हों, सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर सकेगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एवं चन्दा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा। परंतु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या पाँच से अधिक नहीं होगी।

राज्य प्रतिनिधि

13

राज्य प्रतिनिधि
श्री गिराज एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी
13/11/2012

5. सदस्यता की समाप्ति-

1. मृत्यु होने, पागल होने या दिवालिया होने पर।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
4. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर।
5. त्याग पत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर।

6. संस्था के अंग-

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा-

गठन-साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक-साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना अवधि-साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना बैठक के समय से 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति-गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।



सत्य प्रतिष्ठिति

२२

सत्य प्रतिष्ठिति

सत्य प्रतिष्ठिति

13/11/2020

(3)

विशेष वार्षिक अधिवेशन-संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी। ✓

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय-समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना। ✓
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना। ✓

8. प्रबन्धकारिणी समिति-

गठन-प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों में से चुनकर किया जावेगा, जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक / सचिव एक उपप्रबन्धक / उपसचिव एक कोषाध्यक्ष एक ऑडिटर तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

बैठक-प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी। ✓

सूचना अवधि-प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी।

गणपूर्ति-गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा। ✓

रिक्त स्थान की पूर्ति-प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा के सदस्यों में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी। ✓

सिधारा म ५१६

अशोक कुमार शर्मा
जन्मदिनांक २०/०५/१९६०

Lakshmi Sharma



सचिव प्रतिनिधि

१२

सचिव

सचिव

13/10/2020

9. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य-

1. संस्था की उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना एवं प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।
5. संस्था के विकास हेतु उप इकाईयों एवं उप समितियों की स्थापना/ गठन करना व उनका संचालन करना।
6. कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा।



10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य-

1. अध्यक्ष-
संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. उपाध्यक्ष-
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना एवं अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यों में सहयोग देना।
3. प्रबन्धक/सचिव-
1. संस्था की देखभाल करना।
2. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना, मीटिंग बुलाना, कार्यवाही लिखना।

सिध्दान्त

केशव कुमार शर्मा

जन्मदिनांक 2 शर्मा

Lakshmi Sharma

वृत्त प्रतिष्ठान

२

उप दिनांक
वृत्त प्रतिष्ठान
वृत्त प्रतिष्ठान
१/३/०७ २००७

3. संस्था की समस्त अचल, चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान एवं चन्दा आदि प्राप्त करना।

4. संस्था के आय, व्यय विवरण को रखना व बैंकों, ड्राफ्टों आदि को स्वीकार करना व बिल पास करना।

5. संस्था के सामाजिक कार्यों के अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व पदच्युत करना वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व पदच्युत करना वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना, भुगतान करना व उनकी सेवा के नियम बनाना।

6. संस्था के समस्त अभिलेखों को अपने पास रखना व अदालती कार्यवाही की पैरवी करना और वह कार्य करना जो संस्था के विकास में सहायक हों।

7. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करते हों।

4. उपप्रबन्धक/उपसचिव-प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये कार्यों को करना उपस्थिति में कार्यों में सहयोग देना।

5. कोषाध्यक्ष-

1. संस्था के आय-व्यय का विवरण रखना।

2. संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा सौंपे गये सभी कार्यों का करना।

6. ऑडिटर-संस्था के आय-व्यय का ऑडिट प्रतिवर्ष करना।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था -संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।



सिधारिणीस

कोशिका शर्मा
गन्दिका शर्मा

HW

Lakshmi Sharma

व्यय प्रतिनिधि

m

उप निष्पाक

श्री लक्ष्मी शर्मा जी

सचिव, संस्था

13/10/2020

संस्था का लेखा परीक्षण (ऑडिट)-संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग ऑडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण का उत्तरदायित्व-संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।
15. संस्था द्वारा लिये गये ऋण एवं उसकी जमानत के सम्बन्ध में-संस्था द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी करने का दायित्व सामूहिक व व्यक्तिगत तौर पर प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों पर होगा यह दायित्व सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋण दाता के पूर्ण ऋण की अदायगी न हो जाये चाहे भले ही सदस्य संस्था से पृथक ही क्यों न हो गया हो।
संस्था का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी अपनी निजी चल व अचल सम्पत्ति का बन्धक साम्यक बन्धक कर सकेंगे।
16. संस्था के अभिलेख-1. सदस्यता रजिस्टर 2. कार्यवाही रजिस्टर 3. एजेण्डा रजिस्टर 4. स्टॉक रजिस्टर 5. केश बुक आदि।
17. संस्था का विघटन - यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा० रजि० अधि० की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांक : 01-05-2006

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Lakshmi Sheeja

कल जतिथि

(Handwritten mark)

एर विषयक

(Handwritten signature)